सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 16, बुधवार, *शाके* 1941–फरवरी 05, 2020 *Magha 16, Wednesday, Saka 1941–February 05, 2020*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, **जनवरी 29, 2020**

संख्या प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/39376:-राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रो में स्थित भूखण्ड/भवनो की बकाया लीज राशि (lease amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है, इस छूट का लाभ दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगा:-

1. योजना का लाभ संभावित लाभार्थियों को प्रदान किए जाने के समुचित प्रयास किए जाकर कम से कम 90 प्रतिशत बकाया लीज राशि की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी यथा आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, उक्त एमनेस्टी योजना की प्रगति/क्रियान्विति एवं प्राप्त राजस्व की नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेगें।
3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी बकाया लीज राशि वसूली के पृथक-पृथक लक्ष्य अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित करेगे एवं यदि आवश्यक हो तो विशेष केम्प आयोजित कर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की आईडी संख्या 102000398 दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण मे जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
उज्जवल राठौड,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

3097

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।